

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री जितेन्द्र मुर्मू पिता- श्री साहेबराम मांझी एवं सुनील मुर्मू पिता- श्री साहेबराम मांझी ग्राम- धर्वैया , थाना- महुआ टांड़, जिला- बोकारो (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- धर्वैया , थाना- महुआ टांड़ जिला- बोकारो (झारखण्ड) थाना सं. 53 (रेयती भूमि) खाता सं. 50 के अधीन प्लॉट सं. 1038 कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनो के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- धर्वैया , थाना- महुआ टांड़, जिला- बोकारो (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- धर्वैया , थाना- महुआ टांड़, जिला- बोकारो (झारखण्ड) थाना सं: 53 (रेयती भूमि) खाता सं. 50 के अधीन प्लॉट सं. 1038. कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के तहत 1. श्री जितेन्द्र मुर्मू पिता- श्री साहेबराम मांझी एवं 2. सुनील मुर्मू पिता- श्री साहेबराम मांझी ग्राम- धर्वैया , थाना- महुआ टांड़, जिला- बोकारो (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- धर्वैया , थाना- महुआ टांड़, जिला- बोकारो (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

31मिन
26-8-22